राजस्थान सरकार

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, देसूरी (पाली)

पीठासीन अधिकारी :– श्रीमति राजलक्ष्मी गहलोत, आर.ए.एस.

राजस्व विविध प्रकरण संख्या :– 16/2020

निर्णय दिनांक :– 28/07/2022

प्रार्थीगण :–

1. पकाराम पुत्र मोटाराम
2. कुकाराम पुत्र बाबुलाल
3. प्रकाशकुमार पुत्र बाबुलाल
4. मदनलाल पुत्र बाबुलाल
5. श्रवणकुमार पुत्र बाबुलाल
6. सुरेशकुमार पुत्र बाबुलाल
7. सीता पुत्री बाबुलाल
8. सोहनी पत्नि बाबुलाल
9. हीराराम पुत्र मोटाराम

जातिगण–मेणा, निवासीगण–गांथी, तहसील–देसूरी, जिला–पाली राजस्थान

विरूद्ध

अप्रार्थीगण :–

1. प्रेमसिंह पुत्र रगुनाथसिंह
2. बाबुलाल पुत्र रगुनाथसिंह
3. सोहनलाल पुत्र रगुनाथसिंह के कायम मुकाम वारिसान :–

   3/1– श्रीमति मथरा कंवर पत्नि स्व. सोहनलाल उर्फ सोहनसिंह

   3/2– मदनसिंह पुत्र स्व. सोहनलाल उर्फ सोहनसिंह

   3/3– सुरेशसिंह पुत्र स्व. सोहनलाल उर्फ सोहनसिंह

   3/4– संतोष कंवर पुत्री स्व. सोहनलाल उर्फ सोहनसिंह

   जातिगण–पुरोहित, निवासीगण तमाम–गांथी, तहसील–देसूरी, जिला–पाली(राज.)
4. तहसीलदार देसूरी (भूमिधारी राज्य सरकार)

–:प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान अभिधृति अधिनियम 1955 :–

उपस्थिति:–

1. श्री शेषाराम कुमावत प्रार्थीगण की ओर से।
2. श्री प्रदीपसिंह अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 01 [illegible] से।
3. श्री शंकरलाल मीणा अप्रार्थी [illegible]
4. श्री कैलाश ईणानिया तहसी[illegible] परीकार।

Signature Not Verified
Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.10.14 12:26:40 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

पेज लगातार 02 पर...

क्रमश (2) न्यायालय सहायक कलेक्टर एवम् उपखण्ड अधिकारी, देसूरी मुकदमा नम्बर 16/2020 [illegible] पकाराम वगैरा बनाम प्रेमसिंह वगैरा अन्तर्गत धारा 251ए राज. अभिधृति अधिनियम

निर्णय दिनांक 23/03/2022

1– प्रार्थीगण द्वारा अन्तर्गत राजस्थान सरकार अभिधृति अधिनियम 1955 की धारा 251ए की उपधारा (1) के अधीन अपनी खातेदारी भूमि में आवागमन के लिये नया रास्ता लेने हेतु प्रार्थना प्रत्र प्रस्तुत किया गया है।

2– प्रार्थीगण अपने आवेदन के साथ ग्राम–गांधी के खाता संख्या 99 एवं 98 की जमाबंदी सम्वत् 2073–76, नक्शा ट्रेस, अप्रार्थीगण की जमाबंदी सम्वत् 2073 से 2076 खाता संख्या नया 241 प्रस्तुत कर प्रार्थीगण की खातेदारी कृषि भूमि ग्राम गांधी खसरा नम्बर 201/985 रकबा 1.00 हेक्टर किस्म बारानी अव्वल एवं खसरा नम्बर 201 रकबा 0.87 हेक्टर किस्म बारानी अव्वल मे आने जाने के लिए(रास्ते की भूमि) रास्ते हेतु नक्शे में लाल स्याही से दर्शित अनुसार पडौस मे स्थित अप्रार्थीगण संख्या 01 से 03 की निजी खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 220 रकबा 0.38 हेक्टर, खसरा नम्बर 221 रकबा 0.23 हेक्टर, खसरा नम्बर 223 रकबा 0.27 हेक्टर में से उत्तरी माठ के किनारे–किनारे मांग की गई है।

3– प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटीस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता प्रदीपसिंह सोलंकी तथा अप्रार्थी संख्या 2 व 3 की ओर से वकील शंकरलाल मीणा ने वकालत नामा पेश किया जो शामिल मिसल किया गया। अप्रार्थी सख्या 04 (भूमिधारी) तहसीलदार देसूरी से मौका जांच रिपोर्ट भिजवाने हेतु इस न्यायालय के पत्रांक/कोर्ट/2020/131 दिनांक 24.08.2020 को लिखा गया। तहसीलदार देसूरी से दिनांक 11.09.2020 को मौका रिपोर्ट प्राप्त हुइ जिसे शामिल पत्रावली किया गया

4– वकील अप्रार्थी संख्या 01 ने जवाब प्रार्थना पत्र मे बताया कि प्रार्थीगण की खातेदारी जो ग्राम गांधी के खसरा नम्बर 201 एवं 201/985 अप्रार्थी संख्या 01 की खातेदारी भूमि के पश्चिमी दिशा में विद्यमान तो अवश्य है लेकिन प्रार्थीगण कभी भी अपनी खातेदारी भूमि में आने जाने एवं काश्त करने के लिए अप्रार्थीगण की भूमि खसरा नम्बर 220, 221 एवं 223 में से नहीं निकले ना ही कभी अप्रार्थीगण की भूमि मे से आना–जाना हुआ। प्रार्थीगण अपनी कृषि भूमि में जाने के लिए एवं काश्त करने के लिए दक्षिण दिशा के पडौसी खसरा नम्बर 213 एवं 216 जो मांगीलाल एवं नरशाराम पुत्रगण नथाराम जाति मीणा निवासी गांधी की जोत से आना–जाना करते थे व आज भी करते व काश्त करते है। अप्रार्थी स. 01 की भूमि खसरा नम्बर 813 जो रास्ता(देसूरी से फुलाद रोड) पर स्थित होने से प्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमि का मूल्य बढाने के लिए अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि मे से रास्ता माग रहे है जो कानूनन गलत है। इसके अति[illegible] खसरा नम्बर 813 से खसरा नम्बर 215 मे मु. रास्ता जो खसरा नम्बर 214 [illegible] मे से गुजरकर

Signature Not Verified
Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.10.14 12:26:40 IST
Reason: SelfAttested

पेज लगातार 03 पर...

सहायक कलेक्टर
(एस डी ओ.) देसूरी (पाली)

प्रार्थीगण अपनी जोत में आना–जाना है। अतः जवाब स्वीकार कर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर खारिज फरमाया जावें।

5– अप्रार्थी संख्या 3 के फौत होने पर वकील प्राथीगण द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 4 सी.पी.सी. पेश किया जिसे शामिल मिसल किया गया जिसकी प्रति वकील अप्रार्थीगण को दिलाई गई एवं वकील प्रार्थीगण ने अप्रार्थी संख्या 03 के कामय मुकाम पेश किये जिसको जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 03 के कायम मुकाम 3/1, से 3/3 की ओर से अधिवक्ता शंकरलाल मीणा ने वकालतनामा पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया।

6– वकील अप्रार्थी ने अप्रार्थी संख्या 2, 3 के कायम मुकाम 3/1, 3/2 एवं 3/3 की ओर से जवाब प्रस्तुत कर बताया कि प्रार्थीगण को अपनी जोत में पंहुच के प्रयोजन के लिए अप्रार्थीगण की जोत में से भूमिगत पाईप लाईन बिठाने/नया मार्ग खोलने/विद्यमान मार्ग का विस्तार करने या चौडा करने का कोई कानूनन अधिकार नहीं है एवं ना ही अप्रार्थीगण की जोत में से नया मार्ग खुलवाने का कोई अधिकार है।

7– प्रार्थीगण का यह कथन कतई गलत है कि प्रार्थीगण को अपनी कृषि भूमि खसरा नम्बर 201/985 एवं 201 पर आने–जाने हेतु कोई रास्ता न हो और प्रार्थीगण अपनी जोत पर आने–जाने हेतु अप्रार्थीगण की खातेदारी कृषि भूमि खसरा नम्बर 220, 221 व 223 में से उत्तरी माठ के सहारे–सहारे अप्रार्थीगण की अनुमति से आते–जाते रहे हो। प्रार्थीगण का यह कथन झुठा है कि प्रार्थीगण को अपनी खातेदारी भूमि में पंहुचने, आने–जाने, कृषि कार्य हेतु ट्रेक्टर, मवेशी लाने हेतु प्रस्तावित रास्ते के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है। प्रार्थीगण द्वारा कभी भी अप्रार्थीगण की खातेदारी कृषि भूमि खसरा नम्बर 220, 221 व 223 में से आवागमन व कृषि कार्य हेतु रास्ता का उपयोग नहीं किया गया है। अप्रार्थीगण की जोत मे भी पूर्व में भी कोई रास्ता नहीं था न वर्तमान में है। जबकि वास्तविकता यह है कि प्रार्थीगण की अपनी खातेदारी कृषि भूमि खसरा नम्बर 201/985 व 201 में पंहुचने हेतु अन्य रास्ता पहले से उपलब्ध है जो रास्ता खसरा नम्बर 202 की उतरी माठ के सहारे–सहारे जो ग्राम गुडा आसकरण की माठ के सहारे–सहारे मिलता है जिस रास्ते का उपयोग प्रार्थीगण द्वारा अपनी जोत में आने–जाने हेतु व कृषि कार्य हेतु कदीमी किया जा रहा है जो प्रार्थीगण के लिए निकटतम/लघुतम मार्ग है।

8 – प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थीगण की खातेदारी [illegible] चाहा गया मार्ग बहुत अधिक लम्बा एवं विकट है। जिसमें अप्रार्थीगण की बहुत अधिक [illegible] कृषि भूमि को क्षति

पेज लगातार 04 पर...

Signature Not Verified
Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.10.14 12:26:40 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

होगी व भारी आर्थिक नुकसान होगा जिसकी क्षतिपूर्ति प्रतिकर द्वारा नहीं हो सकेगी। प्रार्थीगण मात्र मुख्य एक खसरा नम्बर 813 तक अपनी पहुंच बनाकर अपनी खातेदारी भूमि की कीमत बढाना चाहता है एवं अप्रार्थीगण को तंग परेशान करने की नियत से गलत एवं मनगढंत तथ्यों के आधार पर यह प्रार्थना पत्र पेश किया है जो खारिज योग्य है। प्रार्थीगण की जोत में आवगमन एवं पंहुच हेतु कदीमी रास्ता खसरा नम्बर 202 की उत्तरी माठ सहारे–सहारे उपलब्ध होते हुए अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 220, 221, 223 में एक और नया रास्ता प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज योग्य होने से खारिज फरमाया जावें।

9– अप्रार्थी सख्या 04(भूमिधारी) तहसीलदार देसूरी द्वारा उनके पत्रांक/राजस्व/कोर्ट/2020/911 दिनांक 11.09.2020 के जरिये पटवार हल्का सुमेर भू–अभिलेख निरीक्षक डायलाना कलां से प्रस्तावित रास्ते की मौका जांच कराई जाकर मौका फर्द, नक्शा ट्रेस, के प्रस्तावित रास्ते की जांच रिपोर्ट निम्नानुसार है।

1. प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र में ग्राम गांथी खातेदारी कृषि भूमि में खसरा नम्बर 201/985 एवं 201 में आवगमन हेतु पडौस स्थित खसरा नम्बर 220, 221, 223 मे से उत्तरी माठ के किनारे–किनारे रास्ते की मांग की है।
2. प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र मे दर्शाए नक्शे में मौका निरीक्षण में पाया गया कि पकराम वगैरह अपनी खातेदारी भूमि में खसरा नम्बर 220, 221 व 223 अप्रार्थीगण प्रेमसिंह वगैरह की खातेदारी भूमि की उत्तरी माठ से आते–जाते थे
3. प्रस्तावित रास्ता के अतिरिक्त अन्य कोई रास्ता नहीं है। वर्तमान में आवगमन के लिए नक्शे में प्रस्तावित किया गया है।
4. प्रस्तावित रास्ता खसरा नम्बर ख.न. 220 रकबा 0.38 हेक्टर में से 102x4 = 408 वर्गमीटर, ख.नं. 221 रकबा 0.23 हेक्टर में से 58x4 = 232 वर्गमीटर व ख.नं. 223 रकबा 0.27 हेक्टर में से 56x4 = 224 वर्गमीटर कुल क्षेत्रफल 216 मीटर लम्बा एवं 4 मीटर चौडा रास्ता दिया जाना उचित है।
5. प्रस्तावित रास्ते की भूमि पंजीयन बाजार दर 1068228/–रूपये प्रति हेक्टर है।
6. अप्रार्थीगण की उक्त भूमि का श्रीमान राजस्व अपील अधिकारी पाली में आर.टी.एक्ट 223 के तहत मुकदमा संख्या 92/2016 सोहनसिंह बनाम प्रेमसिंह वगैरह मुकदमा विचाराधीन है व स्थगन है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.10.14 12:26:40 IST
Reason: SelfAttested

10– बहस उभयपक्ष सुनी गई। प्रार्थीगण अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए रास्ता दिये जाने हेतु निवेदन किया। निवेदन किया कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि में खसरा नम्बर 220, 221, एवं 223 में से रास्ता दिया जाये अन्य कोई वैकल्पिक मार्ग

पेज लगातार 05 पर...

सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) देसूरी (राज.)

उपलब्ध नहीं है। अप्रार्थी सं. 1 ने जवाब में बताया कि प्रार्थीगण का आना–जाना अन्य खसरा नम्बर 202 से है जिस संबंध में प्रार्थीगण अधिवक्ता ने बताया कि 202 से लगता हुआ कोई रास्ता नहीं है। अप्रार्थी संख्या 01 के अधिवक्ता ने दौराने बहस कथन किया कि अप्रार्थी के खसरा नम्बर 220 में बेरा खुदा हुआ है जिससे बेरे के पास रास्ता दिया जाना संभव नहीं है। प्रार्थीगण के द्वारा मात्र खसरा नम्बर 813 मेगा हाईवे तक पंहुच बनाने हेतु रास्ता मागा जा रहा है प्रार्थीगण खातेदारी में अन्य रास्ते से आना–जाना कर रहे है। अप्रार्थी संख्या 2 एवं 3 के कायम मुकाम के अधिवक्ता ने दौराने बहस में कथन किया कि प्रार्थीगण का अपनी जोत मे अन्य खसरा नम्बर 202 से आना–जाना हो रहा है। प्रार्थीगण को अप्रार्थी की जोत में से रास्ता चाहिए तो प्रतिकर की जगह जमीन के बदले जमीन दे। तथा अप्रार्थी वकील शंकरलाल मीणा ने तहसीलदार देसूरी की जांच रिपोर्ट बिन्दु के सख्या 06 के संदर्भ में बताया कि उक्त मुकदमा एवं स्थगन प्रस्तावित रास्ते की भूमि के संबंध में सिर्फ उपखण्ड अधिकारी देसूरी के निर्णय एवं डिकी की पालना, प्रभाव एवं कियान्विति के संबंध था वर्तमान में उक्त भूमि के संबंध में कोई प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन नहीं है।

11– न्यायालय द्वारा पत्रावली में उपलब्ध प्रार्थना पत्र, जवाब, राजस्व रिकॉर्ड एवं तहसीलदार की रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। जिससे यह प्रमाणित होता है कि प्रार्थीगण की खातेदारी में आने जाने के लिये एक मात्र रास्ता अप्रार्थीगणों की खातेदारी में से ही हैं अतः न्यायालय की राय में प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251ए के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित है अतएवं

तहसीलदार देसूरी द्वारा प्रस्तुत मौका जांच रिपोर्ट मय नक्शा, मौका फर्द, एवं पत्रावली को अवलोकन करने पर पाया गया की प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि मौजा ग्राम गांथी के खसरा नम्बर 201/985 रकबा 1.00 हेक्टर किस्म बारानी अव्वल एवं खसरा नम्बर 201 रकबा 0.87 हेक्टर किस्म बारानी अव्वल भूमि में आने जाने हेतु प्रार्थीगण की मांग अनुसार अप्रार्थीगण संख्या 01 लगाय 03 के का.मु की निजी खातेदारी कृषि भूमि खसरा नम्बर 220 रकबा 0.38 हेक्टर में से 102x4 = 408 वर्गमीटर, ख.नं. 221 रकबा 0.23 हेक्टर में से 58x4 = 232 वर्गमीटर व ख.नं. 223 रकबा 0.27 हेक्टर में से 56x4 = 224 वर्गमीटर कुल क्षेत्रफल 216 मीटर लम्बा एवं 4 मीटर चौडा रास्ता यानि 216x4 = 864 वर्ग मीटर रास्ता उत्तरी माठ के सहारे–सहारे दिया जाना उचित है। इस हेतु प्रार्थीगण को 184590/– रूपये का अनुदान भुगतान अप्रार्थीगण संख्या 01 से 03 के कायम को करना होगा।

Signature Not Verified
Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.10.14 12:26:46 IST
Reason: SelfAttested

पेज लगातार 06 पर...

सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

क्रमश (6) न्यायालय सहायक कलेक्टर एवम् उपखण्ड अधिकारी, देसूरी मुकदमा नम्बर 16/2020 अनवान पकाराम वगैरा बनाम प्रेमसिंह वगैरा अन्तर्गत धारा 251ए राज. अभिधृति अधिनियम.

आदेश

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र राजस्थान अभिधृति अधिनियम 1955 की धारा 251ए स्वीकार किया जाकर तहसीलदार देसूरी को आदेश दिया जाता है कि प्रार्थीगण से 216 मीटर लम्बे एवं 04 मीटर चौडे कुल रकबा 216 x 4 = 864 वर्गमीटर रास्ते के परिपेक्ष्य में डी.एल.सी दर अनुसार प्रस्तावित रास्ते की राशि अनुदान रूपये 184590/– रू. प्रार्थीगण के द्वारा अप्रार्थीगण संख्या 01 से 03 के का.मु को दिलवाया जावे। प्रार्थीगण को खातेदारी भूमि ग्राम गांथी के खसरा नम्बर 201/985 रकबा 1.00 हेक्टर किस्म बारानी अव्वल एवं खसरा नम्बर 201 रकबा 0.87 हेक्टर किस्म बारानी अव्वल भूमि में आने जाने हेतु अप्रार्थीगण संख्या 01 लगाय 03 के का.मु की निजी खातेदारी कृषि भूमि खसरा नम्बर 220 रकबा 0.38 हेक्टर में से 102x4 = 408 वर्गमीटर, ख.नं. 221 रकबा 0.23 हेक्टर में से 58x4 = 232 वर्गमीटर व ख.नं. 223 रकबा 0.27 हेक्टर में से 56x4 = 224 वर्गमीटर उत्तरी दिशा की ओर माठ के सहारे–सहारे पश्चिम से पूर्व की ओर कुल 216 मीटर लम्बा एवं 04 मीटर चौडा कुल रकबा 216 x 4 = 864 वर्गमीटर रास्ता दिया जाकर एवं राशि अप्रार्थीगण संख्या 01 से 03 के का.मु को सुपुर्द होने के बाद रास्ते का रिकॉर्ड में अमल दरामद करें व नक्शे में तरमीम किया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

सहायक कलेक्टर
(राजलक्ष्मी गहलोत)
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)
सहायक कलेक्टर
देसूरी

निर्णय आज दिनांक 28/7/2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास में सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)
सहायक कलेक्टर
देसूरी

Signature Not Verified

Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.10.14 12:26:40 IST
Reason: SelfAttested